न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 42/2024
अनवान : –

1. सुदेश देवी पत्नी रणजीत सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. गटुचन्द पुत्र हजारी जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. जयसिंह पुत्र हजारी जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. मदनलाल पुत्र ओम प्रकाश जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. रामेश्वर पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. विनोद पुत्र बलवीर जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. विमला पत्नी बलवीरसिंह जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. श्रवण पुत्र ओमप्रकाश जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. सुमित्रा पुत्री बलवीर सिंह जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. अनिता पत्नी सीताराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. शोरभ पुत्र सीताराम नाबालिग जरिये कुदरती बली माता अनिता पत्नी सीताराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. हिमांशु पुत्र सीताराम नाबालिग जरिये कुदरती बली माता अनिता पत्नी सीताराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट

उपस्थिति :–**श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीया**
श्री भरतसिंह बैनीवाल अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय **दिनांकः** 26/08/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 80/74 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि सायला के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 88/88 की कुल 5.9700 हैक्ट भूमि गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज सीताराम पुत्र बलवीर का देहान्त हो चुका है जिसके वारिसान गैरसायल स0 9 ता 11 है। सायला को अपनी कृषि भूमि प्रवेश हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नही है। सायला अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए गांव फेफाना से चलकर स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए गैरसायलान की कृषि भूमि रोही मौजा 5 ए बारानी के खाता स0 88/88 के प0न0 348/387(79) के किला न0 4/2 के मिन पश्चिम की 0.019 हैक्ट भूमि में से होते हुए उत्तर से दक्षिण चलकर अपनी कृषि भूमि के प0न0 348/387(79) के किला न0 7 में प्रवेश करती है। यह रास्ता सदामत से चालु है तथा उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। गैरसायलान के खाता स0 88/88 के प0न0 348/387(79) के किला न0 4/2 के मिन पश्चिम की 0.019 हैक्ट भूमि जो कि सायला की भूमि के चिपती हुई है इसलिए सायला उक्त रास्ता के बदले की भूमि गैरसायलान को प0न0 348/387(79) के किला न0 7 में से मिन उत्तर रास्ता की भूमि को छोड़कर 0.019 हैक्ट भूमि देने के लिए तैयार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:23:13 IST
Reason: SelfAttested

Rahul उपखण्ड अधिकारी नोहर

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि गैरसायलान के खाता स0 88/88 के प0न0 348/387(79) के किला न0 4/2 के मिन पश्चिम की 0.019 हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत कर रास्ता के बदले की भूमि में गैरसायलान के चिपती हुई भूमि प0न0 348/387(79) के किला न0 7 में से मिन उत्तर रास्ता की भूमि को छोड़कर 0.019 हैक्ट गैरसायलान के नाम दर्ज की जावे।

प्रार्थना पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार नोहर से रास्ता बाबात रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थीगण संख्या 1, 3 व 7 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायला के खेत का रास्ता गैरसायलान के खेत प० नं0 348/387 (79) किला नं. 4/2 में प्रवेश कभी नहीं रहा है ना ही अब वर्तमान में चालु है और ना ही यह सुविधाजनक और नजदीकी है तथा ना ही सायला ने कभी इस रास्ते से प्रवेश किया है। सायला अपने संयुक्त खाता की भूमि में से खेत में प्रवेश करती है और उसी में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहिये था सामिल खाते का खाता विभाजन के समय ही सायला को खेत में आने-जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना था जो नहीं करवाया गया गैरसायलान का परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायला अपने खेत में जाने के लिए अपने संयुक्त खाते में पूर्व में दिया रास्ता का उपयोग में ले रही है रास्ता का सम्बन्ध गैरसायलान से नहीं है क्योकि अब उक्त रास्ता नहीं नहीं है तो प्रार्थना पत्र 251 (ए) की पालना का तो कोई औचित्य हीं नहीं है। प्रार्थना पत्र सायला जिस रास्ता को चाहा है वह मौके पर बन्द है वह सदामत से चालु नहीं रहा है सायला का अभी मौके पर अपने पुराने सामिल खाते की भूमि से आवागमन है। उसी रास्ते से आना-जाना है अपने खेत में सायला को सामिल खाते में विभाजन करते समय रास्ता की मांग करनी चाहिये थी। पुरानी खातेदारी भूमि का विभाजन किया है उसके खातेदार उसी भूमि में से रास्ता मंजूर करवा सकते है ना कि अन्य किसी खातेदार की भूमि में से प्रार्थीगण / गैरसायलान की भूमि में कभी कोई आवागमन नहीं रहा। सायला चालु रास्ता से ही नया रास्ता मंजूर करवाना चाहती है गैरसायलान के द्वारा प० नं० 349/387 (78) किला नं. 1, 10, 11 के पश्चिम साईड में उत्तर से दक्षिण की तरफ चलकर 1-1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो सायला के साथ अन्य दो खेतो को भी रास्ता की सुविधा मिल सकती है क्योंकि उनको भी रास्ता की जरूरत है जिससे खाता संख्या 218/197 में प० नं० 348/387 (79) के किला नं. 6, 15 के काश्तकार सुनीता पत्नी विनोद कुमार व सुरजमुखी पत्नी राममूर्ति जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर के खाता संख्या 98/91 में प० नं० 349/387 (78) के किला नं. 20, 21 के काश्तकार देवीलाल, महेन्द्र सिंह, सुभाष चन्द्र पि० दयासुख जाति जाट निवासी फेफाना के खेत में रास्ता नहीं है इस रास्ता से सायला व अन्य खाते की भूमि को भी रास्ता स्वीकृत होने का फायदा मिलेगा। प्रार्थना पत्र में सायला के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत होने से प्रार्थी के खेत के टुकड़े हो जायेगें जिससे प्रार्थी को काश्त करने में परेशानी होगी प्रार्थीगण / गैरसायलान के द्वारा प० नं० 349/387 (78) किला नं. 1, 10, 11 से रास्ता स्वीकृत होता है तो अन्य काश्तकारों को भी फायदा होगा नहीं तो आयन्दा ये काश्तकार भी गैरसायल के खेत से अलग-अलग रास्ता की मांग करेंगे जिससे गैरसायल के खेत

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:23:13 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

के कई टुकड़े हो जायेगे जिससे गैरसायलान को काश्त व विभाजन करने में भारी परेशानी होगी। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायला को अपनी कृषि भूमि प्रवेश हेतु कोई स्वीकृत रास्ता नही है। सायला अपनी कृषि भूमि में जाने के लिए गांव फेफाना से चलकर स्वीकृतशुदा रास्ता से होते हुए गैरसायलान की कृषि भूमि रोही मौजा 5 ए बारानी के खाता स0 88/88 के प0न0 348/387(79) के किला न0 4/2 के मिन पश्चिम की 0.019 हैक्ट भूमि में से होते हुए उत्तर से दक्षिण चलकर अपनी कृषि भूमि के प0न0 348/387(79) के किला न0 7 में प्रवेश करती है। यह रास्ता सदामत से चालु है तथा उक्त रास्ता को सायला राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने की अधिकारी है। गैरसायलान के खाता स0 88/88 के प0न 348/387(79) के किला न0 4/2 के मिन पश्चिम की 0.019 हैक्ट भूमि जो की सायला की भूमि के चिपती हुई है इसलिए सायला उक्त रास्ता के बदले की भूमि गैरसायलान को प0न0 348/387(79) के किला न0 7 में से मिन उत्तर रास्ता की भूमि को छोड़कर 0.019 हैक्ट भूमि देने के लिए तैयार है।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में निवेदन किया की गैरसायलान के खेत प० नं0 348/387 (79) किला नं. 4/2 में प्रवेश कभी नहीं रहा है ना ही अब वर्तमान में चालु है और ना ही यह सुविधाजनक और नजदीकी है तथा ना ही सायला ने कभी इस रास्ते से प्रवेश किया है। सायला अपने संयुक्त खाता की भूमि में से खेत में प्रवेश करती है और उसी में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहिये था सामिल खाते का खाता विभाजन के समय ही सायला को खेत में आने–जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करवाना था जो नहीं करवाया गया गैरसायलान का परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र सायला जिस रास्ता को चाहा है वह मौके पर बन्द है वह सदामत से चालु नहीं रहा है सायला का अभी मौके पर अपने पुराने सामिल खाते की भूमि से आवागमन है। पुरानी खातेदारी भूमि का विभाजन किया है उसके खातेदार उसी भूमि में से रास्ता मंजूर करवा सकते है ना कि अन्य किसी खातेदार की भूमि में से प्रार्थीगण / गैरसायलान की भूमि में कभी कोई आवागमन नहीं रहा। सायला चालु रास्ता से ही नया रास्ता मंजूर करवाना चाहती है प्रार्थीगण / गैरसायलान के द्वारा प० नं० 349/387 (78) किला नं. 1, 10, 11 से रास्ता स्वीकृत होता है तो अन्य काश्तकारों को भी फायदा होगा नहीं तो आयन्दा ये काश्तकार भी गैरसायल के खेत से अलग–अलग रास्ता की मांग करेंगे जिससे गैरसायल के खेत के कई टुकड़े हो जायेगे जिससे गैरसायलान को काश्त व विभाजन करने में भारी परेशानी होगी। उक्त बिन्दुओं के मध्यनजर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 80/74 की कुल 1.5180 हैक्ट भूमि सायला के नाम दर्ज है एवं रोही मौजा 5 ए बारानी तहसील नोहर के खाता स0 88/88 की कुल 5.97[illegible] हैक्ट भूमि गैरसायलान के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज है। सायला द्वारा गैरसायलान के खाता स0 88/88 के प0न 348/387(79) के किला न0 4/2 के मिन पश्चिम की 0.019 हैक्ट भूमि को गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाने बाबत यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:23:13 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी Rahul
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट सायलान के कथनों की पूष्टी करती है अर्थात सायलान को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये अप्रार्थी के प0न 348/387(79) के किला न0 4/2 से आवागमन सायला के लिए सुविधाजनक व निकटतम है।

गैरसायल का कथन है कि गैरसायलान के खेत प० नं0 348/387 (79) किला नं. 4/2 में प्रवेश कभी नहीं रहा है ना ही अब वर्तमान में चालु है और ना ही यह सुविधाजनक और नजदीकी है प्रार्थीगण / गैरसायलान के द्वारा प० नं० 349/387 (78) किला नं. 1, 10, 11 से रास्ता स्वीकृत होता है तो अन्य काश्तकारों को भी फायदा होगा नहीं तो आयन्दा ये काश्तकार भी गैरसायल के खेत से अलग–अलग रास्ता की मांग करेंगे जिससे गैरसायल के खेत के कई टुकड़े हो जायेगे जिससे गैरसायलान को काश्त व विभाजन करने में भारी परेशानी होगी। इसलिए उक्त रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित नही है। लेकिन मौका रिपोर्ट के मुताबिक प0न 348/387(79) के किला न0 4/2 से आवागमन सायला के लिए सुविधाजनक व निकटतम है एवं अप्रार्थीगण 3 किला में से रास्ता स्वीकृत करने हेतु निवेदन किया गया है जबकि प्रार्थी द्वारा सिर्फ एक किला में ही रास्ता चाहा जा रहा है। 3 किला की बजाय 1 कि में रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायोचित है। किसी भी खातेदार को उसकी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता दिया जाना आवश्यक है एवं नजरीय नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त रास्ता सूविधाजनक एव नजदीकी है इससे अधिक नजदीकी रास्ता सायल की भूमि में जाने के लिये उपलब्ध नही है।

तहसीलदार नोहर के द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार स्वीकृत शुद्वा रास्ता से सायलान की खातेदारी भूमि तक पहुचने का सबसे छोटा एवं सुविधाजनक रास्ता प्रतीत होता है अर्थात सायलान के द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता मौका रिपोर्ट अनुसार दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः साायल का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर गैरसायलान के रोही मोजा 5 ए बारानी के खाता स0 88/88 के प0न 348/387(79) के किला न0 4/2 के मिन पश्चिम की 0.019 हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है एव रास्ता की भूमि की एवज में अप्रार्थीगण की चिपती हुई भूमि प0न0 348/387(79) के किला न0 7 में से रास्ता की भूमि को छोड़कर 0.019 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि में से में से कम की जाकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की जाती है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया बाद प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:23:13 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

क्रमांकः रीडर / रास्ता / 2025 / 1111 दिनांकः– 27/8/25

तहसीलदार (राजस्व)
नोहर।

विषय :– स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के संबंध में प्रार्थना पत्र स0–42 / 2024 निर्णय दिनांक 26/08/2025।

प्रकरण संख्या – 42 / 2024
अनवान : –

1. सुदेश देवी पत्नी रणजीत सिंह जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–प्रार्थीया

बनाम्

1. गटुचन्द पुत्र हजारी जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. जयसिंह पुत्र हजारी जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. मदनलाल पुत्र ओम प्रकाश जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. रामेश्वर पुत्र रावताराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. विनोद पुत्र बलवीर जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. विमला पत्नी बलवीरसिंह जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
7. श्रवण पुत्र ओमप्रकाश जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
8. सुमित्रा पुत्री बलवीर सिंह जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
9. अनिता पत्नी सीताराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
10. शोरभ पुत्र सीताराम नाबालिग जरिये कुदरती बली माता अनिता पत्नी सीताराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
11. हिमांशु पुत्र सीताराम नाबालिग जरिये कुदरती बली माता अनिता पत्नी सीताराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 42 / 2024 अनवान सुदेश बनाम गटूचन्द आदि में निर्णय दिनांक 26/08/2025 में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर गैरसायलान के रोही मोजा 5 ए बारानी के खाता स0 88 / 88 के प0न 348 / 387(79) के किला न0 4 / 2 के मिन पश्चिम की 0.019 हैक्ट भूमि में रास्ता स्वीकृत किया जाता है एव रास्ता की भूमि की एवज में अप्रार्थीगण की चिपती हुई भूमि प0न0 348 / 387(79) के किला न0 7 में से रास्ता की भूमि को छोड़कर 0.019 हैक्ट भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज भूमि में से में से कम की जाकर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज की जाती है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:23:13 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर